दिल्ली विधान तमा तथिवालय

तमाचार भाग-2

ई विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी है वृहत्पतिवार, 21 अक्तूबर, 1999/आहिवन 29, 1921हंसकों

संख्या : 53

सदस्यों नवरबंदी सर्व रिहार्ड

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान तभा को संबोधित अतिरिक्त पुलित उपायुक्त उत्तरी जिला, दिल्ली का निम्नलिकित संदेश दिनांक 21-16-1999 को प्राप्त हुआ :-

मुझे आपको तसम्मान तूचित करना है कि दिल्ली विधान तमा के माननीय तदस्यन तर्वश्री जगदीश मुखी, इंडा है हर्ष वर्धन, जय मगदान अग्रवान, क्रह्म तिंह तंवर एवं तृशीन चौधरी को दिल्ली पुलित अधिनियम, 1978 की धारा-65 के अंतर्गत पुलित के विधि-तम्मद निर्देशों की अवझा करने के कारण दिनांक 21.10.1999 को अपराहन 12.05 को विधान तथा वह नज़रबंद किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थांत् दिनांक 21. 10. 99 को अपराह्न 12. 10 क्ये, वहीं से रिहा कर दिया गया ।

रस. के गर्मा

त चिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAN

General information relating to Legislative & other matters)
Thursday, October 21, 1999/ Ashvana 29, 1921 (Saka)
No. 53

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following information addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Addl. D.C.P., North Distr., on 21.10.1999:-

"I have the honour to inform you that S/Shri Jagdish Mukhi, Dr." Harsh Varshan, Jai Bhagwan Aggarwal, Brahm Singh Tanwar and Sushil Choudhery, Members of Legislative Assembly, Delhi were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of the police on 21.10.1999 at 1205 hrs.

They were released at 1210 hrs. from same place on the same day i.e. 21.10.1999.

S.K. SHARMA SECRETARY